राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शिवप्रताप बनाम गिर्राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2025	267/2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25/03/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 2/रेस्पो. को आगामी पेशी दिनांक 29/04/2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तत्पश्चात प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी मय प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/06/2019 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25/03/2019 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/06/2019 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करते हुये प्रश्नाधीन भूमि का सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटी कारित किया जाना जाहिर नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/06/2019 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	